महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25-11-2022 का कार्यवृत्त
संख्या – 01/2022

स्थान – प्रशासनिक भवन प्रथम तल सभागार

उपस्थिति: -

1	प्रो० के० पी० सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2	प्रो० नलिनी श्रीवास्तव	–	सदस्य
3	प्रो० रज्जन कुमार	–	सदस्य
4	प्रो० पी० बी० सिंह	–	सदस्य
5	प्रो एम के सिंह	–	सदस्य
6	प्रो० रश्मि अग्रवाल	–	सदस्य
7	प्रो० संतोष अरोरा	–	सदस्य
8	प्रो० एस० के०. पाण्डेय	–	सदस्य
9	प्रो० शोभना सिंह	–	सदस्य
10	प्रो० एस० के० तोमर	–	सदस्य
11	प्रो० सुधीर कुमार	–	सदस्य
12	प्रो० अंजू अग्रवाल	–	सदस्य
13	प्रो० अर्चना गुप्ता	–	सदस्य
14	प्रो० सलीम खान	–	सदस्य
15	प्रो० रवेन्द्र सिंह	–	सदस्य
16	प्रो० संजय मिश्रा	–	सदस्य
17	प्रो० जे.एन. मौर्य	–	सदस्य
18	प्रो० मनीष राय	–	सदस्य
19	प्रो० कमल किशोर	–	सदस्य
20	प्रो०एस० एस० बेदी	–	सदस्य
21	प्रो० विजय बहादुर सिंह यादव	–	सदस्य
22	प्रो० तूलिका सक्सेना	–	सदस्य
23	प्रो० निवेदिता श्रीवास्तव	–	सदस्य
24	प्रो० विनय ऋषिवाल	–	सदस्य
25	डा० आलोक श्रीवास्तव	–	सदस्य
26	डा० ओ पी उपाध्याय	–	सदस्य
27	डा० यतेंद्र कुमार	–	सदस्य
28	डा० प्रमेन्द्र कुमार	–	सदस्य
29	डा० डी डी शर्मा	–	सदस्य
30	डा० संजीव त्यागी	–	सदस्य
31	डा० बृजेश कुमार	–	सदस्य
32	डा० अनीता त्यागी	–	सदस्य
33	डॉ० गौरव राव	–	सदस्य
34	डा० अमित सिंह	–	सदस्य

35	डा० आशुतोष प्रिय	—	सदस्य
36	डा० ज्योति पांडेय	—	सदस्य
37	डा० चमन सिंह	—	सदस्य
38	डा० चन्द्रकान्ता सिंघल	—	सदस्य
39	प्रो० धर्मेन्द्र गुप्ता	—	सदस्य
40	प्रो० प्रतिभा सागर	—	सदस्य
41	डा० सी.एम. जैन	—	सदस्य
42	डा० वीर वीरेन्द्र सिंह	—	सदस्य
43	डा० ओ.पी. मौर्य	—	सदस्य
44	डा० शौराज सिंह	—	सदस्य
45	डा० एस.एस. कटियार	—	सदस्य
46	डा० सुनील मलिक	—	सदस्य
47	डा० राजेश सिंह चौहान	—	सदस्य
48	डा० चारू मेहरोत्रा	—	सदस्य
49	डा० गिरीश चन्द्र पाण्डेय	—	सदस्य
50	डा० विनोद कुमार पाण्डेय	—	सदस्य
51	डा० राधा यादव	—	सदस्य
52	डा० नूरूल हक	—	सदस्य
53	डा० सदरे आलम	—	सदस्य
54	डा० सुरेश चन्द्र	—	सदस्य
55	डा० अजय कुमार अस्थाना	—	सदस्य
56	डा० पम्पा गौतम	—	सदस्य
57	डा० मीनू विश्नोई	—	सदस्य
58	डा० ए.पी. सिंह	—	सदस्य
59	डा० आर.के. गुप्ता	—	सदस्य
60	डा० शालिनी रॉय	—	सदस्य
61	डा० आलोक खरे	—	सदस्य
62	डा० एन.के. शर्मा	—	सदस्य
63	डा० शचि मित्तल	—	सदस्य
64	डा० नीरजा अस्थाना	—	सदस्य
65	डा० शुभ्रा कटारा	—	सदस्य
66	डा० राजीव कुमार, कुलसचिव	—	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त नवीन सदस्यों का परिचय प्राप्त किया एवं कुलसचिव द्वारा समस्त माननीय सदस्यगणों का स्वागत किया गया। तदोपरांत विषय की कार्यसूची पर कार्य विचार/चर्चा प्रारम्भ हुई।

1. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि कराया जाना।

निर्णयः उक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होने वाले डिप्लोमा इन योग विज्ञान को संशोधित करते हुए स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग विज्ञान किए जाने सम्बंधित प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत संचालित एवं माननीया कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा इन योग विज्ञान पाठ्यक्रम को संशोधित करते हुये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग विज्ञान किए जाने सम्बंधित प्रस्ताव से सिद्धांततः सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में आंशिक संशोधन हेतु माननीया कुलाधिपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

3. दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पत्र संख्या DBSE/2021/388 दिनांक 29.12.2021 एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पत्र संख्या EV/VII(5)/2021/385/188 दिनांक 28 जुलाई 2021 से प्राप्त पत्रों का संज्ञान लेते हुये दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली बोर्ड को सीबीएसई एवं भारत के अन्य बोर्ड के समकक्ष मान्यता देने सम्बंधित प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पत्र संख्या DBSE/2021/388 दिनांक 29.12.2021 एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पत्र संख्या EV/VII(5)/2021/385/188 दिनांक 28 जुलाई 2021 से प्राप्त पत्रों का संज्ञान लेते हुये दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली को सीबीएसई एवं भारत के अन्य बोर्ड के समकक्ष मान्यता देने सम्बंधित प्रस्ताव के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया कि दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली बोर्ड विधिक प्रक्रिया द्वारा स्थापित एक बोर्ड है एवं पूर्ण रूप से सीबीएसई एवं भारत के अन्य बोर्ड के समकक्ष है।

4. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मल्टीलिंगुअल स्टडीज के एडजंक्ट फैकल्टी के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मल्टीलिंगुअल स्टडीज के एडजंक्ट फैकल्टी के प्रस्ताव को विचारोपरांत अनुमोदित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय को इन विषयों से सम्बंधित अन्य विद्वान आचार्यों को एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में आवश्यकतानुसार सम्मिलित करने हेतु अधिकृत किया गया।

5. प्रो० एस० के० पाण्डेय, आचार्य, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान विभाग को माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 17-10-2022 के द्वारा विद्यापरिषद/ कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संकायाध्यक्ष, शैक्षिक के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–3), उ० प्र० शासन, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 6689/ सत्तर–3–2021–6(35) 2020 दिनाँक 17 मार्च, 2021 के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिपेक्ष्य में प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधारों हेतु माननीय कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में विभिन्न समितियों के पुनर्गठन विषयक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था ।

उक्त के क्रम में वर्किंग ग्रुप की एक वर्चुअल बैठक दिनाँक 19-08-2021 को सायं 4:00 बजे संपन्न हुई । उक्त बैठक में वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर एक मत से अपनी सहमति व्यक्त की । वर्किंग ग्रुप द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियों में प्रस्तर संख्या 3 पर संकायाध्यक्ष, शैक्षिक के पद एवं उसकी आवश्यकता के सन्दर्भ में विस्तृत संस्तुति की गयी (उक्त वर्किंग ग्रुप की संस्तुतियां संलग्न हैं) : -

निर्णयः प्रो० एस० के० पाण्डेय, आचार्य, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान विभाग को माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 17-10-2022 के द्वारा विद्यापरिषद/ कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संकायाध्यक्ष, शैक्षिक के पद पर नियुक्ति को विद्यापरिषद द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन हेतु इस पद की नितांत आवश्यकता एवं इस सम्बन्ध में वर्किंग ग्रुप द्वारा की गयी विस्तृत संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय कुलपति जी के दिनांक 17-10-2022 के निर्णय से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदित किया गया । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने हेतु कार्यपरिषद से अनुमोदनोपरांत माननीया कुलाधिपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

6. प्रो. रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1–6/2007(CPP-II) दिनांक 30-09-2022 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश जिसके अनुसार दो शैक्षणिक पाठ्यक्रम साथ– साथ किये जाने पर विचार।

निर्णयः प्रो. रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या : 1–6 /2007(CPP-II) दिनांक 30-09-2022 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश जिसके द्वारा दो शैक्षणिक पाठ्यक्रम साथ– साथ किये जाने को अनुमन्य किया गया है, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा स्वीकार किया गया एवं कुलपति जी द्वारा प्रो० एस०के०

पाण्डेय के संयोजकत्व में गठित समस्त संकायाध्यक्षों की समिति को विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कराने हेतु अधिकृत किया गया।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत परास्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय पाठ्यक्रम समिति द्वारा तैयार किये गए विभिन्न विषयों के संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत परास्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय पाठ्यक्रम समिति द्वारा तैयार किये गए विभिन्न विषयों के संशोधित पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को सत्र 2022-23 से CBCS प्रणाली के अंतर्गत संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गए अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को सत्र 2022-23 से CBCS प्रणाली के अंतर्गत संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गए अध्यादेश को विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित करते हुए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि उक्त के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यदि कोई संशोधन संकायाध्यक्षों द्वारा प्रो० एस० के० पाण्डेय के माध्यम से प्रेषित किया जाता है तो उसे कार्य परिषद के माध्यम से अनुमोदित कराने का कष्ट करें।

9. i) शोध निदेशालय द्वारा विभिन्न संकायों में नवीन पीएच०डी० कोर्स वर्क को प्रारम्भ किये जाने सम्बंधित प्रस्ताव एवं ऐसे विभाग जहाँ पीएच०डी० कार्यक्रम पूर्व से संचालित हो रहे हैं, के कोर्स वर्क के राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 के अनुरूप शोध निदेशालय द्वारा प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार -

1. Faculty of Engineering & Technology:
   - a- Mechanical Engineering
   - b- Electronics & Communication Engineering
   - c- Electronics & Instrumentation Engineering
   - d- Electrical Engineering
   - e- Pharmacy
2. Faculty of Agriculture:
   - a- Agriculture Economics
   - b- Agronomy

c- Soil Science & Agricultural Chemistry
d- Genetics and Plant Breeding

3. Faculty of Ayurveda:
   a- Dravya Guna
   b- Kaya Chikitsa
   c- Ras Shastra aur Bhaisajya Kalpana
   d- Sanskrit Samhita aur Moulik Siddhant
   e- Shalakya Tantra
4. Faculty of Arts:
   a- Persian

निर्णयः शोध निदेशालय द्वारा विभिन्न संकायों में नवीन पीएच० डी० कोर्स वर्क को प्रारम्भ किये जाने सम्बंधित प्रस्ताव एवं ऐसे विभाग जहाँ पीएच०डी० कार्यक्रम पूर्व से संचालित हो रहे हैं, के कोर्स वर्क के राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 के अनुरूप शोध निदेशालय द्वारा प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रमों को विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया एवं माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि उक्त के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यदि कोई संशोधन विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रो० सुधीर कुमार के माध्यम से प्रेषित किया जाता है तो उसे कार्य परिषद के माध्यम से अनुमोदित कराने का कष्ट करे।

ii) दिनांक 14.11.2022 को निदेशक मण्डल की बैठक में आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली संस्तुतियाँ

शोध अध्यादेश 2017 की धारा 8.3 एवं 8.4 में प्रावधान है कि शोध उपाधि समिति द्वारा संस्तुत/अनुमोदित कार्यवृत्त जिसमें कुलपति महोदय अध्यक्ष हैं को संकाय परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये, जो उचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि कुलपति जी के अनुमोदन के पश्चात् ऐसा करना तर्कसंगत नहीं है। अतः ऐसे शोध छात्र जिनका शोध विषय/शीर्षक शोध उपाधि समिति द्वारा अनुमोदित हैं, को शोध छात्र को आवंटित/अनुमोदित कर दिया जाये।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

iii) शोध अध्यादेश 2020 के बिन्दु संख्या 7 एवं नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निदेशक मंडल द्वारा प्री पी–एच.डी. कोर्सवर्क सम्पादित करने के एवं छात्रों की समस्याओं के तत्काल निराकरण हेतु विस्तृत नियमावली तैयार की गई है, का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया जाना।

निर्णय : उपरोक्त अध्यादेश का अनुमोदन प्रदान किया गया।

iv) पी–एच.डी. शोध अध्यादेश 2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अंशकालिक पी–एच.डी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है तथा बीस से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा अंशकालिक पी–एच.डी. में प्रवेश लिया गया है। शोध अध्यादेश में दी गई व्यवस्था अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी अपना कार्य करते हुए शोध कार्य एवं शोध प्रबन्ध जमा कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कोर्सवर्क आनलाईन/आफलाईन मोड में करने पर विचार किया जाना। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्व महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार किया गया जिसके द्वारा शिक्षकों द्वारा उनके लिए कोर्स वर्क आनलाईन/आफलाईन मोड में संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 62/सत्तर–1.2022 दिनांक 06 जनवरी, 2022 में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कों पी–एच.डी. उपाधि हेतु भौतिक एवं आनलाईन प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की गई है। उपरोक्त के सन्दर्भ में शिक्षकों सहित अन्य सभी अभ्यर्थियों को आफलाईन एवं/अथवा आनलाईन मोड में कोर्स वर्क की अनुमति प्रदान की जाये।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

v) शोध अध्यादेश 2020 के बिन्दु संख्या 4.1 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अध्यावृति प्राप्त अभ्यर्थी वर्ष में कभी भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं किन्तु उनकी प्रवेश प्रक्रिया पर विचार पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर किया जाता है। इसी प्रकार अंशकालिक पी–एच.डी. में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से भी वर्ष भर आवेदन प्राप्त किये जायें तथा आवश्यकतानुसार पात्रता/प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाये।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

vi) शोध निदेशालय द्वारा शोध परियोजनाओं एवं कन्सलटेंसी के लिए तैयार विस्तृत दिशा–निर्देशिका, जिसके द्वारा केन्द्र एवं विभिन्न प्रदेशों तथा अन्य निकाय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं को संचालित करने में शोध अन्वेषकों को मदद होगी एवं ज्यादा से ज्यादा शोध परियोजनाओं को सफलता पूर्वक संचालित किया जा सकता है, के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. सत्र 2022-23 में बी०ए० द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में विषय पाठ्यक्रम समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अनुरूप एक प्रश्नपत्र किये जाने की संस्तुति की गयी है, के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सत्र 2022-23 में बी० ए० द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर एवं अन्य आगामी सेमेस्टर तथा सत्र 2022–23 बी.ए. प्रथम सेमेस्टर तथा आगामी सत्र/सेमेस्टर में अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में विषय पाठ्यक्रम समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अनुरूप एक प्रश्नपत्र किये जाने की संस्तुति को विद्या परिषद् द्वारा स्वीकार करते हुए अनुमोदित किया गया।

11. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किये जाने पर विचार।

(i) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संकाय के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में (i) पावर सिस्टम एवं रिन्यूएबल एनर्जी (Power System and Renewable Energy) एवं (ii) कण्ट्रोल एवं ऑटोमेशन (Control and Automation) में इंटीग्रेटेड एम० टेक०–पीएच० डी० डुअल डिग्री प्रोग्राम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को, जो पूर्व में विषय पाठ्यक्रम समिति एवं संकाय परिषद द्वारा अनुमोदित है, के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संकाय के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में (i) पावर सिस्टम एवं रिन्यूएबल एनर्जी (Power System and Renewable Energy) एवं (ii) कण्ट्रोल एवं ऑटोमेशन (Control and Automation) में इंटीग्रेटेड एम० टेक०– पीएच० डी० डुअल डिग्री प्रोग्राम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को, जो पूर्व में विषय पाठ्यक्रम समिति एवं संकाय परिषद द्वारा अनुमोदित है को विद्या परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया । साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि कार्यपरिषद के अनुमोदनोपरांत उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने हेतु माननीया कुलाधिपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(ii) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संकाय के अन्तर्गत ह्यूमनिटीज विभाग में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मल्टीलिंगुअल स्टडीज के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु समन्वयक,सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मल्टीलिंगुअल स्टडीज द्वारा प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार-

निर्णयः अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संकाय के अन्तर्गत ह्यूमनिटीज विभाग में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मल्टीलिंगुअल स्टडीज के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु समन्वयक,सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मल्टीलिंगुअल स्टडीज द्वारा प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश को अनुमोदित किया गया एवं उक्त के प्रभावी क्रियान्वन हेतु यदि कोई संशोधन विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रो० एस० के० पाण्डेय के माध्यम से प्रेषित किया जाता है तो उसे कार्य परिषद के माध्यम से अनुमोदित करने का कष्ट करे।

(iii) AICTE द्वारा प्रारम्भ की गयी माइनर डिग्री योजना के अन्तर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में 02 माइनर डिग्री प्रोग्राम यथा i- रोबोटिक्स (Robotics) एवं ii- एनर्जी इंजीनियरिंग (Energy Engineering), प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार-

(iv) AICTE द्वारा प्रारम्भ की गयी माइनर डिग्री योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग में 05 माइनर डिग्री प्रोग्राम यथा (i) Internet of Things(IoT) (ii) Robotics (iii) Artificial Intelligence and Machine Learning (iv) Industrial Automation (v) Electrical Vehicle तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में 03 माइनर डिग्री प्रोग्राम (i) इमर्जिंग एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी इन बी०टेक० (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) (Emerging Area of Technology in B.Tech. (Electrical engineering) (ii) इलेक्ट्रिकल वेहिकल (Electrical Vehicle) एवं (iii) रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन (Robotics and Automation) प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः AICTE द्वारा प्रारम्भ की गयी माइनर डिग्री योजना के अन्तर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में 02 माइनर डिग्री प्रोग्राम यथा i- रोबोटिक्स (Robotics) एवं ii- एनर्जी इंजीनियरिंग (Energy Engineering) प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग में 05 माइनर डिग्री प्रोग्राम यथा (i) Internet of Things(IoT) (ii) Robotics (iii) Artificial Intelligence and Machine Learning (iv) Industrial Automation (v) Electrical Vehicle तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में 03 माइनर डिग्री प्रोग्राम (i) इमर्जिंग एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी इन बी०टेक० (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) (Emerging Area of Technology in B.Tech. (Electrical engineering) (ii) इलेक्ट्रिकल वेहिकल (Electrical Vehicle) एवं (iii) रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन (Robotics and Automation) प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एनर्जी इंजीनियरिंग के स्थान पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग

रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के नाम से उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध अपनी आख्या तत्काल उपलब्ध करायें।

(v) B.Tech. in Electronics and Instrumentation with specialization in Internet of Things (IOT) के नए पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने सम्बंधित इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार-

निर्णयः B.Tech. in Electronics and Instrumentation with specialization in Internet of Things (IOT) के नए पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने सम्बंधित इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रस्ताव को स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि कार्यपरिषद से अनुमोदनोपरांत उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने हेतु माननीया कुलाधिपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये ।

(vi) AICTE द्वारा प्रारम्भ की गयी माइनर डिग्री योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में माइनर डिग्री प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार-

निर्णयः AICTE द्वारा प्रारम्भ की गयी माइनर डिग्री योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में माइनर डिग्री प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा स्वीकार किया गया। साथ ही विद्या परिषद द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि प्रस्तर संख्या 11(iii), 11(iv), एवं 11(vi) पर प्रस्तावित माइनर डिग्री प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने वाले सम्बंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर एक कार्य योजना बनाकर उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

vii) कंप्यूटर साइंस एंड इनफार्मेशन टेक्नोलोजी विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए एम०सी०ए० के पाठ्यक्रम एवं पी० एच० डी० अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः कंप्यूटर साइंस एंड इनफार्मेशन टेक्नोलोजी विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए एम०सी०ए० के पाठ्यक्रम एवं पी० एच० डी० अध्यादेश को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

12. माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पीएच० डी० प्रारम्भ किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं कोर्स वर्क के सिलेबस के अनुमोदन पर विचार-

निर्णयः माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पीएच० डी० प्रारम्भ किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं कोर्स वर्क के सिलेबस को अनुमोदित किया गया।

13. स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रथम चार सेमेस्टर में 3 क्रेडिट के वोकेशनल पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा तैयार किये गए पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों यथा NPTEL, MOOCS, SWAYAM, COURSERA एवं अन्य सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिकृत है को महाविद्यालयों द्वारा संचालित किये जाने एवं स्नातकोत्तर स्तर पर भी NPTEL, MOOCS, SWAYAM, COURSERA के पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करने के प्रस्ताव पर विचार -

निर्णयः स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रथम चार सेमेस्टर में 3 क्रेडिट के वोकेशनल पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा तैयार किये गए पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों यथा NPTEL, MOOCS, SWAYAM, COURSERA एवं अन्य सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिकृत है को महाविद्यालयों द्वारा संचालित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

स्नातकोत्तर स्तर पर भी उक्त पाठ्यक्रमों को आवश्यकतानुसार संचालन हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान की गयी।

14. विधि, विषय पाठ्यक्रम समिति के संयोजक पद हेतु डा0 अमित सिंह, डीन, विधि के प्रस्ताव पर विचार -

निर्णयः विधि, विषय पाठ्यक्रम समिति के संयोजक पद हेतु डा0 अमित सिंह, डीन, विधि के प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विषय पाठ्यक्रम समिति के संयोजक की नियुक्ति के सम्बन्ध में नवीन परिनियमावली–2022 में सुस्पष्ट व्यवस्था विद्यमान है, उक्त का प्रभावी क्रियान्वन सुनिश्चित किया जाये।

अंत में अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित सदस्यगण का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**